बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या– CSTL/22/2016......600....../कृ0, पटना, दिनांक– 17/09/, 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश–474.078 एवं राज्यांश–316.052 लाख कुल 790.13 लाख रुपये (सात करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार रुपये) की लागत पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश–474.078 एवं राज्यांश–316.052 लाख कुल 790.13 लाख रुपये (सात करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार रुपये) की लागत पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना कार्यान्वयन के लिए रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 2–2/2018 Fert Use दिनांक 26 मार्च 2017 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना के मृदा स्वास्थ्यय प्रबधन योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में 474.08 लाख की नई योजना के लिए Allocation की सूचना प्राप्त है।

भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 14–1/2016 Fert Use दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा इस योजना अंतर्गत ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच परियोजना पर कार्यान्वयन किया जाना है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के निदेश के आलोक में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना अंतर्गत नए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 45.00 लाख रुपये प्रति प्रयोगशाला राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के दिशा निर्देश की अनुसूची–II एवं प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के दिशा निर्देश की अनुसूची–IV के अनुरूप 30.00 लाख की वित्तीय सीमा के अंतर्गत प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराई जानी है। बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर के निदेशक प्रसार शिक्षा के पत्रांक 209 दिनांक 25.05.2016 के आलोक में मार्गदर्शिका के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अंतर्गत सात कृषि विज्ञान केन्द्रों, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, खगड़िया, सुपौल, लखीसराय तथा कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव, पूर्णियाँ, किशनगंज में नये मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर के प्रयोगशाला समेत कृषि विज्ञान केन्द्र, भागलपुर, बाँका, कटिहार, मुँगेर, नालन्दा, रोहतास, सहरसा एवं शेखपुरा के मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओ को सुदृढ़ीकरण करने हेतु अनुमान्य कुल 646.25 लाख रुपये मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग निकासी कर नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेगे। जिसका व्यय बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा किया जाएगा।

2015–17 के नमूना जाँच के फलाफल के आधार पर प्रखंड जिला एवं राज्य स्तर पर सभी पारामीटर पर मृदा उर्वरता मैप का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सभी जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच को अनुसूची–'ख' के अनुरूप रुपये 38.88 लाख की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच परियोजना के लिए कुल लागत 5.0 लाख का 75 प्रतिशत अनुदान पर व्यक्तिगत लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाना है। इसमें अनुदान 60:40 के अनुपात के केन्द्रांश : राज्यांश से व्यय किया जायगा। इस योजना में 2017–18 में जिला स्तरीय कार्यकारणी समिति की अनुशंसा प्राप्त 28 इकाईयों को कुल रुपये 105 लाख की लागत से लाभान्वित किया जाना है। जिसका वित्तीय ब्यौरा अनुसूची–'ग' पर एवं लाभुको की सूची अनुसूची–'घ' पर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मृदा परीक्षण परियोजना की स्थापना के लिए अनुदान मद की राशि संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायगी।

भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में इस मद में भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति की सूचना के पश्चात् PFMS द्वारा राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराए जाने के उपरांत कोषागार से अनुदान की राशि निकासी कर लाभुक के खाते में 20 दिनो के अंदर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान किया जायगा। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को स्वीकृत वित्तीय सीमा के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध राशि से भी भुगतान किया जा सकता है।

राशि का मदवार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार ब्यौरा अनुसूची–'क' पर संलग्न है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय संबद्ध प्रयोगशालाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी। प्राप्त अनुदानों के उपयोग करने के पश्चात् संबंधित संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से कोटिवार स्वीकृत वित्तीय सीमा एवं बजट उपबंध के अधीन आवंटन निर्गत किया जायगा। वर्तमान में केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति की सूचना नहीं है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर आवंटन आदेश निर्गत किया जायगा।

6. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढाया जा सकता है।

7. वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0207–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050207**, पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन"	1625.43	393.48474
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007890238,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–0238.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	313.34	75.85248
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796– जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007960258,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–0258.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	19.58	4.74078
कुल केन्द्रांश	**1958.35**	**474.078**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष–0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050307,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष 0307.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन "	1083.62	262.32316
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0338–राष्ट्रीय	208.89	50.56832

संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007890338,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष 0338.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन"		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007960358,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष 0358. 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	13.06	3.16052
कुल राज्यांश	**1305.57**	**316.052**
सकल योग	**3263.92**	**790.13**

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 31.05.2018 को प्राप्त है तथा माननीय मंत्री, कृषि का संचिका संख्या – सी0एस0टी0एल0–22/2016 के पृ०सं0–28/टि0 पर दिनांक–22.06.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–सी०एस०टी०एल०–22/2016 के पृ० सं०–38/टि० पर दिनांक 23.08.2018 को प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से

Rabindra 12-9.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– CSTL/22/2016.......600......./कृ0, पटना, दिनांक– ....17....... सितम्बर, 2018
प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12-9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– CSTL/22/2016.......600......./कृ0, पटना, दिनांक– ....17....... सितम्बर, 2018
प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12-9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– CSTL/22/2016.......600......./कृ0, पटना, दिनांक– ....17....... सितम्बर, 2018
प्रतिलिपि – सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12-9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– CSTL/22/2016.......600......./कृ0, पटना, दिनांक– ....17....... सितम्बर, 2018
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/उप निदेशक (शष्य), योजना, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/उप निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित पदाधिकारी तथा सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक के साथ ई० मेल करने हेतु प्रेषित।

Rabindra 12-9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।